ई0मेल / पंजीकृत / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी –नैनीताल।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–03,
देहरादून।

पत्रांक 919 / स0क0 / अत्या0उ0कले0सू0–2021 / 2022–23, दिनांक 01 जुलाई ~~जून~~, 2023

विषयः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 एवं संशोधित नियम–2016 तथा नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 योजनान्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–34SOCW3/46/2022-XVII-A-3(37438) दिनांक 01 फरवरी 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ निदेशक, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–PCR-11016/01/2023-PCR दिनांक 09.01.2023 एवं पत्र संख्या–PCR-11015/1/2023-PCR दिनांक 09.01.2023 की प्रति संलग्नकों सहित निदेशालय को प्रेषित करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 योजनान्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2022 की सूचना निर्धारित प्रारूपों में शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 योजनान्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2022 की सूचना महानिदेशक, पुलिस (अपराध एवं कानून व्यवस्था) उत्तराखण्ड, देहरादून एवं समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तराखण्ड से प्राप्त कर निर्धारित प्रारूपों में संकलित करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त सूचना भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
30/06/23
(कमलेश भण्डारी)
मुख्य वित्त नियन्त्रक
कृते निदेशक।

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्टः–

1– **कैलेण्डर वर्ष 2022 का विवरणः–** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2022 में प्राप्त मामलों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये है तथा प्राप्त मामलों को पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय को प्रस्तुत किये गये है

2– **विधिक सहायताः–** अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता हेतु जनपद बागेश्वर में विशेष अभियोजक नियुक्ति है तथा उनको नियमानुसार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों पर न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय के पश्चात रूपये 5000/– प्रति वाद के दर से भुगतान किया जाता है। अन्य 12 जनपदों में जिला शासकीय अधिवक्ताओं (फौजदारी) द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

3– **अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं गवाहों को यात्रा सुविधाः–** पुलिस विभाग द्वारा उत्पीड़ित व्यक्ति तथा गबाहों को न्यायालय तक आने जाने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है तथा जिन मामलों में यात्रा व्यय देय हो मामलों के अनुसार धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

4– **पुनर्वासनः–** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में पीडित व्यक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) संशोधित नियम–2016 में किये गये प्राविधानानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यदि प्रकरण पुनर्वासन से सम्बन्धित हो तो जिलाधिकारी की अनुशंसा पर पुर्नवास की कार्यवाही की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। विवेचना समाप्ति के उपरान्त वादी मुकदमा से अवगत कराते हुए आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट की प्रति पीडित व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

5– **अधिकारियों की नियुक्तिः–**अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में पुलिस विभाग में विशेष जॉच प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिनके द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। एससी/एसटी उत्पीडन से सम्बन्धित अभियोगों का तत्काल पंजीकृत किया जाता है जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा एससी एसटी से सम्बन्धित अभियोगों के निराकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है तथा पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

6— **समितियों का गठनः—** जिला स्तर पर जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लोक अभियोजन अधिकारी आदि सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित कर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को समुचित सुरक्षा/सहयोग तथा मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

7— **सर्वेक्षणः**—उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार—निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2022 में कोई सर्वेक्षण नहीं हो पाया है।

8— **उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगानाः**— उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित नहीं हैं जहां इस प्रकार की लगातार या अधिक घटनाये होती है।

9— **विशेष न्यायालयों की स्थापनाः**— उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में विशेष न्यायालय की स्थापना की गयी हैं, जिननें उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की जाती है।

10— **विशेष थानों का गठनः**—उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। इस कारण अलग से विशेष थानों का गठन नहीं किया गया है। जब कोई घटना होती है तो मामलों का निस्तारण नजदीकी थानों द्वारा किया जाता है।

11— **गैर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अधिकारियों द्वारा किया गया अपराध :—** उत्तराखण्ड राज्य में कैलेंडर वर्ष 2022 में इस प्रकार के कोई मामले प्रकाश में नहीं आये है। अतः सूचना शून्य है।

12— **नोडल अधिकारियों की नियुक्तिः—** अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम—2016 के नियम—9 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीडितों और साक्षियों के अधिकारों के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी—नैनीताल को राज्य स्तर पर एवं समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

13— **उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष अधिकारियों की नियुक्तिः**—राज्य में एससी/एसटी उत्पीड़न से ग्रसित कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस प्रकार की लगातार या अधिक घटनाये होती है। सूचना शून्य है।

14— **माडल कैन्टीजैन्सी प्लानः—** राज्य के सभी जनपदों को शासन/मुख्यालय से समय-समय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार—निवारण) अधिनियम 1989 के प्राविधानों के अनुपालन एवं अनुश्रवण किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाते है।

15— प्रचार -प्रसार :— अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार—निवारण) अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपद मुख्यालयों, विकास खण्डों पर

कमशः—3/—

शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

Annexure-I

Legal aid and other facilities provided to persons subjected to atrocities to enable them to avail themselves of justice

(Ref: Section 21{(2)(i)} of the Act)

State /UT: Uttarkhand.

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	District	Number of persons provided legal aid and other facilities								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	02	-	02	02	-	02	04	-	04
2.	Tehri Garhwal	0	-	0	-	-	-	-	-	-
3.	Chamoli	-	-	02	02	-	02	04	-	04
4.	Rudraprayag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Uttarkashi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dehradun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Nainital	-	-	-	01	-	01	01	-	01
9.	Almora	01	-	01	01	-	01	02	-	02
10.	Pithoragarh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bageshwar	01	-	01	01	-	01	02	-	02
12.	Champawat	01	-	01	04	-	04	05	-	05
13.	US Nagar	C5	03	08	04	-	04	09	03	12
	Total:	**10**	**03**	**15**	**15**	-	**15**	**27**	**03**	**30**

Annexure-II

Travelling and maintenance expenses paid to witnesses, including the victims of atrocities, during investigation and trial of offences under the act

(Ref: Section 21{(2)(ii)} of the Act)

State /UT: **Uttarakhand.**

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	District	Number of persons provided traveling and other Maintenance expenses								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tehri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Chamoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rudraprayag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Uttarkashi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dehradun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Haridwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nainital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Almora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pithoragarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bageshwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Champawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	US Nagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Annexure-III

REGISTRATION OF CASES AS PER PROVISIONS OF THE AMENDED PoA (Year-2022)

State- **Uttarakhand.**

Section 3 (as amended)	Gist of Provision Expanded, re-phased and new offences of atrocities under Section 3 of the Poa Act as amended	Number of cases registered
1	हत्या	4
2	गम्भीरचोट	1
3	बलात्कार	27
4	आगजनी	0
5	अन्य भा०द०वि०	85
6	SC/ST Act	17
7	ना०अ०सं०	0
8	अहस्तक्षेपीय अपराध	0
		134

Annexure-IV

SPECIFICATION OF APRROPRIATE SCHEME TO ENSURE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS AND ENTITLEMENTS OF WITNESSES IN ACCESSING JUSTICE

(SECTION 15a(11) OF THE Act.)

State- Uttarakhand.

Chapter of the PoA Act as amended	Section	Sub-Section	Gist
IVA	15A	11	थानों पर शिकायतकर्त्ता की सूचना पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सूचना दर्ज कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क दी जाती है। प्रत्येक घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तत्काल प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु जिला प्रशासन/जिला समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। विवेचना समाप्ति के परिणाम से वादी मुकदमा को अवगत कराते हुये आरोप पत्र/अन्तिम रिपार्ट की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

Annexure-V

Steps taken by way of economic and social rehabilitation of victims of atrocities: relief to atrocity victims

(Ref: Section 21{(2)(iii)} of the Act read with Rule 12(4) of the POA Rules, 1995, as amended)

State /UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13 Calendar year 2022

No	District	Number of Atrocity victims provided relief								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	03	-	03	02	-	02	05	-	05
2.	Tehri Garhwal	03	-	03	03	-	03	06	-	06
3.	Chamoli	01	01	02	01	-	01	02	01	03
4.	Rudraprayag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Uttarkashi	01	0	01	03	-	04	04	-	04
6.	Dehradun	04	-	04	03	-	03	07	-	07
7.	Haridwar	-	-		13	-	13	13	-	13
8.	Nainital	06	-	06	05	-	05	11	-	11
9.	Almora	09	-	09	06	-	06	15	-	15
10.	Pithoragarh	08	-	08	02	-	02	10	-	10
11.	Bageshwar	02	-	02	01	-	01	03	-	03
12.	Champawat	-	-	-	04	-	04	04	-	04
13.	US Nagar	10	01	11	10	-	10	21	01	22
	Total:-	**47**	**02**	**49**	**53**		**53**	**101**	**02**	**103**

Annexure-VI

INVESTIGATION AND FILLING OF THE CHARGE SHEET WITHIN SIXTY DAYS

State- **Uttarakhand.**

District	Rule	Gist of Provision	Action Taken	
			Number of cases of which Investigation and filling of the chargs sheet was dons:-	
			Within sixty days	later then Sixty Days
Pauri Garhwal	7(2)	Completion of investigation and filling of the chargs sheet of PoPrelated cases in the Special Court/eXclusive Special Court Within a period of sixty days	03	-
Tehri			06	-
Chamoli			01	-
Rudraprayag			01	-
Uttarkashi			04	02
Dehradun			14	01
Haridwar			14	-
Nainital			07	05
Almora			02	03
Pithoragarh			05	01
Bageshwar			02	-
Champawat			03	-
US Nagar			15	04
योग–			77	16

RELIEF AND REHABILITATION OF VICTIMS OF ATROCITIES

((Ref: Section 21(2)(iii) of the Act read with Rule 12(4) and Rule 12(4A) of the PoA Rules, 1995 as amended)

State- Uttarakhand

Distt	Rule	Provisions of relief to the concerned within seven days as per minimum amount of relief specified in Annexure-I of the Schedule of the PoA Rules as amended	Action Taken	
	12(4)		Number of cases in which the relief amount was paid to concerned person (s) within:	
			within seven days	later then seven days
Uttarkashi			.	01
Tehri			.	13
Chamoli			.	.
Rudraprayag			.	.
Pauri Garhwal			.	03
Dehradun			.	05
Haridwar			.	01
Almora			.	05
Bageshwar			.	02
Champawat			.	04
Pithoragarh			.	04
Nainital				07
US Nagar				12
Distt	12(4)A	Authorizaation by the State Government/UT Administration to the District Magistrate for immediate withdrawal of money from the treasury so as to timely provide relife amount.	Nil	Nil

Officers appointed for initiating or exercising supervision over prosecutions for contravention of the provisions of the Act: Setting up of SC/ST Protection Cell

(Ref: Section 21(2)(iv) of the Act read with Rule 8 of the POA Rules, 1995)

State /UT: **Uttarakhand.**

Composition of the Cell	Activity of the Cell	Number
अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में विशेष जॉच प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिनके द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। एससी/एसटी उत्पीड़न से सम्बन्धित अभियोगों को तत्काल पंजीकृत किया जाता है, जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है। अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायतें प्रकाश में नहीं आई है। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। पीड़ितों को नियमानुसार सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला समाज कल्याण विभाग एवं जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित करते हुये पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता हैं।	**Surveys of identified areas conducted**	-
	Investigations done about the probable causes leading to an offence under the Act.	-
	Enquiries made about the investigation and spot inspection conducted by various officers	-
	Enquiries made about the wilful negligence by a public servant	-
	Reviews conducted to assess the position of cases registered under the Act.	136

Constitution, frequency of conduct of the meetings of state, district and sub divisional level vigilance & monitoring committees

(Ref: Section 21(2)(v) of POA Act read with Rule 16, 17 &17A of POA Rules, 1995 as amended)

State /UT: Uttarakhand.

A. State Level Committee: Uttarakhand

(a) Whether constituted : Yes

(b) Number of meetings held in a calendar year : -

B. District Level Committees: yes

District Level Committees:-

District Level Committees				
Sr. No.	District	Date of last constitution of the DLVMC	Number of meetings held during the Year	Important Decisions taken in the meetings
1.	Pauri Garhwal	-	0	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर हर सम्भव प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उत्थान हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।
2.	Tehri Garhwal	31-10-2022	03	
3.	Chamoli	28-07-2022	01	
4.	Rudraprayag	-	0	
5.	Uttarkashi	23-12-2022	12	
6.	Dehradun	-		
7.	Haridwar	30-11-2022	05	
8.	Nainital	-	0	
9.	Almora	23-022022	03	
10.	Pithoragarh	16-09-2022	02	
11.	Bageshwar	29-11-2022	03	
12.	Champawat	-	0	
13.	US Nagar	26-09-2022	12	
	Total:		41	

c. Sub divisional level Committees;-

Sub divisional Level Committees				
Sr. No.	Sub divisional	Date of last constitution of the SDVMC	Number of meetings held during the Year	Important Decisions taken in the meetings
1	SDM Roorkee Haridwar		05	Recommendation for payment of financial assistance to victims

Annexure-X

PERIODIC SURVEY CONDUCTED ON THE WORKING OF THE PROVISIONS OF THE ACT.

(Ref: Section 21(2)(vi) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: 13.

Sr.No	Where periodic surveys were conducted	
	District	Number of surveys conducted
	Nil	Nil
	Total: Nil	Nil

AREAS IDENTIFIED WHERE MEMBERS OF SCs AND STs ARE LIKELY TO BE SUBJECTED TO ATROCITIES AND MEASURES ADOPTED TO ENSURE THIS SAFELY

(Ref: Section 21(2)(vii) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts:. .13.

Sr.No	Identified District	Specific areas within District, identified as atrocity prone areas	Measures taken for the removal of such disability in such areas
	NIL	NIL	राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित नहीं है।
	Total:-	NIL	

Special Courts & Exclusive Special Courts set up for speedy trial of cases under the Act

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: 13

Sr. No	Name of the District where set up: 13			
		Special Courts	Exclusive Special Courts	
1	Almora	01	Nil	उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या–189 /XVII–4/2017–243(रा0क0)2002टी0सी0–1 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय को उसके विशेष क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। 13
2	Bageshwar	01		
3	Dehradun	01		
4	Haridwar	01		
5	US Nagar	01		
Total:		05		

Annexure-XIII

SPECIFICATION OF SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS AND EXCLUSIVE SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS (ref: section 15 (1) and (2) of the PoA Act as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Number of:		Number of:	
Special Courts in the State/UT	Special Public Prosecutors specified for conducting cases in the Special Courts	Exclusive Special Courts in the State/UT	Exclusive Special Public Prosecutors Specified for conducting cases in Exclusive Special Prosecutors
अल्मोड़ा –01 बागेश्वर –01 टिहरी –01	03	NiL	Ni

SETTING UP SC/ST PROTECTION CELL (ref: rule of the PoA Rules as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Whether the SC/ST Protection cell has been set up	Whether the SC/ST Cell is discharging all the responsibility specified in Rule 8 of the Poa Rule	Whether additional responsibility has been entrusted to SC/ST Protection Cell which is other than that spcified under Rule 8
राज्य के सभी 13 जनपदों में एस0सी0 / एस0टी0 संरक्षण कक्ष स्थापित है।	मुख्यालय स्तर पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ से सम्बन्धित कार्यो का पर्यवेक्षण अपर महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है।	अनुसूचित जाति / जनजाति उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में विशेष जाँच प्रकोष्ठ की स्थापना कर नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके कार्यो का पर्यवेक्षण सम्बन्धित जनपद प्रभारी द्वारा किया जाता है।

Annexure-XV

SPECIAL POLICE STATIONS SET UP TO INVESTIGATE OFFENCER AGAINST MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

State/UT: Uttarakhand.

Total number of distrits: .13

Sr. No.	District where special police station has been set up		Name of Districts where special Police station has not been set up
	Name of the Distirct	Number of Special police Stations	
राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित क्षेत्र नहीं है, जिस कारण अलग से कोई विशेष थाने का गठन नहीं किया गया है।			

Annexure-XVI

NON–SC /ST OFFICERS PUNISHED FOR WILFUL NEGLECT OF DUTIES

(Ref: Section 4 of Act as amended)

State/UT:Uttarakhand.

Number of officers punished for first offence under Section 4 of the POA Act as amended	Number of officers punished for second and subsequent offence under Section 5 of the POA ACT
NiL	NiL

Annexure-XVII

Nodal officers nominated to co-ordinate functioning of the District Magistrates and Superintendent of Police and other officers, responsible for implementing provisions of the Act.

(Ref: Rule 9 of POA Rules, 1995 as amended)

State/UT: Uttarakhand.

(i) **Whether quarterly progress report received from the SC/ST Protection Cells:**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार–उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित की जाती है। जनपदों में घटित अपराधों की त्रैमासिक रिपोर्ट परिक्षेत्रों के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर संकलित कर सूचना शासन/समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) **Whether the review was undertaken of the reports mentioned above:**

शॅून्य

Annexure-XVIII

Special officers appointed for identified areas to co-ordinate with the District magistrate, Superintendent Of Police or other officers responsible for implementing the provisions of the Act, various Committees and the scheduled castes and the scheduled tribes Protection Cell

(Ref: Rule 10 of the POA Rules, 1995 as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13

Sr. No	Identified District	Whether Special officer appointed (Yes/No)	Designation of the special officers
	NiL	NiL	NiL
		Total Number:	

Annexure-XIX

IMPLEMENTATION OF A PLAN PREPARED FOR EFFECTIVELY IMPLEMENTING PROVISIONS OF THE ACT AND ITS NOTIFICATION IN THE STATE GAZETTE.

(Ref: Rule 15 of the POA Rules, 1995)

State/UT: Uttarakhand.

1. Whether the plan has been formulated (yes/no)	उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–1384 / XVII–4 / 2016–243(स.क.) / 2002–TC–I दिनांक 27 दिसम्बर 2016 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 तथा अनुसूचित जाति और जनाति (अत्याचार–निवारण) संशोधन नियम, 2016 को लागू किया गया है।
2. If yes, please describe its gist, and also attach its copy as required under rule 15(2) of the PoA Rules, as amended.	

Annexure-XX

STEPS TAKEN BY STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATION

State/UT: Uttarakhand.

		Number of Publicity/ Awareness Programmes conducted	Number of officers sensitized, amongst:	
s.n.	District		Police	others
1	उत्तरकाशी	12	350	
2	टिहरी गढवाल	12	510	25
3	चमोली	12	360	
4	रूद्रप्रयाग	12	230	
5	पौडी गढवाल	12	500	
6	देहरादून	12	900	60
7	हरिद्वार	12	750	
8	पिथौरागढ	12	400	
9	बागेश्वर	-	–	
10	चम्पावत	-	–	
11	अल्मोडा	10	10	
12	नैनीताल	-	–	
13	उधमसिंहनगर	12	12	
		118	4022	85

Annexure-XXI

APPEALS FILED IN SUPERIOR COURTS IN CASES WHICH ENDED IN ACOUITTAL

State/UT: Uttarakhand.

s.n.	District	Number of cases which ended in acquittal	Number of cases in which appeals filed in superior courts against acquittal
1	उत्तरकाशी	–	–
2	टिहरी गढवाल	01	–
3	चमोली	–	–
4	रूद्रप्रयाग	–	–
5	पौडी गढवाल	02	–
6	देहरादून	–	–
7	हरिद्वार	–	–
8	पिथौरागढ	10	–
9	बागेश्वर	–	–
10	चम्पावत	–	–
11	अल्मोडा	–	–
12	नैनीताल	–	–
13	उधमसिंहनगर	10	–
	योग–	23	–

ACTION TAKEN TO RECOGNIZE/ REWARD PERSONS / ORGANIZATIONS WHO HAVE DONE EXEMPLARY WORK IN PREVENTION OF ATROCITIES AND REMOVAL OF UNTOUCHABILITY

Sr. No	Names of persons Awarded	Work Done	Names of organizations Awarded	Work Done
	NiL	NiL	NiL	NiL

Review of performance of Public Prosecutors

(Ref: Rule 4 (2 & 3) of the POA Rules as amended)

State /UT: Uttrakhand.

Names of Special Puplic Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors changed for not pleading the PoA Act related cases effectively	
1. 2. 3. 4. 5.	NiL
Total Number -	NiL

उत्तराखण्ड राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट :–

1– उत्तराखण्ड राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 की धारा 15 (1,2,3,) के अन्तर्गत नागरिकों के सिविल अधिकारों की पर्याप्त व्यवस्था की है, बड़े शहरों एवं कस्बों में जहॉ पर्याप्त नागरिक सुविधायें है तथा जहॉ शिक्षा का प्रतिशत अच्छा है वहॉ अस्पृश्यता की समस्या विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती है। जब कोई घटनायें होती है तदोपरान्त नागरिक अधिकार सरंक्षण अधिनियम एवं अत्याचार के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाती है। उक्त सन्दर्भ में अन्य बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है।

2– **विधिक सहायता (Legal Aid Scheme)**:– अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त मामलों की पैरवी करने हेतु जनपद बागेश्वर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति है जिसे जनपद में अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों की पैरवी करने पर न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिये जाने के पश्चात् रू0 5000/– प्राति वाद की दर से भुगतान किया जाता है। अन्य जनपदों में जिला शासकीय अधिवक्ता/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियोजन अधिकारी के द्वारा एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त मामलों से सबंधित मुकदमों की निःशुल्क पैरवी की जाती है।

3– **अधिकारियों की नियुक्ति (Officers Appointed)**:– नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अर्न्तगत अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में विशेष जॉच प्रकोष्ठ का गठन पुलिस विभाग द्वारा किया है एवं सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा किये जाने हेतु जनपदों को निर्देश दिये गये है। एक्ट के अन्तर्गत कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रकरण को तत्काल पंजीकृत किये जाने का प्राविधान रखा गया है। जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जानी है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का हेतु निर्देश दिये गये है तथा पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता है। राज्य के सभी जिलो में उत्पीड़न के मामलों की समीक्षा हेतु अधिकारियों की तैनाती की गई है।

4– **विशेष न्यायालयों की स्थापना (Special Courts Set Up)** :– उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त मामलों के निस्तारण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी है।

5– **समितियों का गठन (Committees Set Up)**:– राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति के अन्तर्गत राज्य स्तर पर मा0 मुख्य मंत्री अध्यक्ष एवं गृह मंत्री, वित्त मंत्री और समाज कल्याण मंत्री सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सामंद

राज्य विधान सभा के सभी चुने गए सदस्यों को सदस्य नामित किया गया है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अध्यक्ष वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि सदस्यों की जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरी समिति का गठन किया गया है।

6— सर्वेक्षण (Periodic survey):— उत्तराखण्ड राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कोई भी मामले प्रकाश में नहीं होने के कारण कैलेंडर वर्ष 2022 में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

7— उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाना (Identification of Untouchability prone areas) :— राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अत्याचार उत्पीड़न से विशेष रूप से प्रभावित नहीं हैं।

8— (1) प्रचार प्रसार (Sensitization and Publicity/ Awareness Programmers) :- अधिनियम के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2022 में कोई प्रकाशन एवं अन्य कार्यकम नहीं किये गये है।

(2) पुलिस विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपराध के रोकथाम हेतु अधिनियम की जानकारी प्रदान की जाती है, अलग से कोई ट्रैनिंग कार्यक्रम संचालित नहीं है।

9— अन्तर्जातीय विवाह (Inter-caste marriages):— कैलेंडर वर्ष 2022 में राज्य के 60 दम्पत्तियों को रू0 50,000/—प्रति दम्पत्ति की दर से कुल रू0 30,00,000/— मात्र की धनराशि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों हेतु व्यय की गयी है। उक्त योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें अर्न्तजातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियो को धनराशि का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

10— अन्य कार्यवाही (Any Other relevant Information) :- शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत समारोहों, गोष्ठियों, ग्राम सभाओं एवं बैठकों के अवसर पर सामाजिक सौहार्द बढ़ाने जाति भेद एवं वर्गभेद मिटाने का प्रयास किया जाये, तथा इन अधिनियमों का प्रचार—प्रसार क्षेत्रों में किया जाय।

कलेण्डर वर्ष 2022 में समाज कल्याण विभाग द्वारा भी जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए जनपद, विकास खण्ड स्तर पर आर्थिक सहायता वितरण हेतु समय—समय पर आयोजित बहुद्देश्यीय शिविरों में भी जनसामान्य को अधिनियमों के संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सौहार्द बढ़ाने व वर्गभेद मिटाने के लिए प्रचार—प्रसार किया जाता है। प्रचार—प्रसार में आने वाले व्यय राज्य सरकार के द्वारा शिवरों के आयोजन हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति मद से किया जाता है।

****

Annexure-I

LEGAL AID AND OTHER FACILITIES PROVIDED TO PERSONS SUBJECTED TO ANY DISABILITY ARISING OUT OF UNTOUCHABILITY TO ENABLE THEM TO AVAIL THEMSELVES OF THEIR LEGAL RIGHTS

(Ref: Section 15A{(2)(I)} of the Act)

State /UT: **Uttarakhand.**

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	Name of District	Number of persons provided legal aid and other facilities		
		Male	Female	Total
1.	Pauri Garhwal	0	0	0
2.	Tehri Garhwal	0	0	0
3.	Chamoli	0	0	0
4.	Rudraprayag	0	0	0
5.	Uttarkashi	0	0	0
6.	Dehradun	04	03	07
7.	Haridwar	0	0	0
8.	Nainital	0	0	0
9.	Almora	0	0	0
10.	Pithoragarh	0	0	0
11.	Bageshwar	0	0	0
12.	Champawat	0	0	0
13.	US Nagar	0	0	0
	Total:	0	0	0

OFFICERS APPOINTED FOR INITIATING OR EXERCISING SUPERVISION OVER PROSECUTIONS FOR THE CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE ACT

(Ref: Section 15A(2)(ii) of the Act)

State/UT: At State level - Director social welfare Uttarakhand

(i) Designation - Director,
(ii) Number- 01

Total Number of Districts: 13.

Districts Level		
District	Officer	
	Designation	Number
Pauri Garhwal	District Social welfare officers	-
Tehri Garhwal	District Social welfare officers	-
Chamoli	District Social welfare officers	-
Rudraprayag	District Social welfare officers	-
Uttarkashi	District Social welfare officers	-
Dehradun	District Social welfare officers	-
Haridwar	District Social welfare officers	-
Nainital	District Social welfare officers	-
Almora	District Social welfare officers	-
Pithoragarh	District Social welfare officers	-
Bageshwar	District Social welfare officers	-
Champawat	District Social welfare officers	-
US Nagar	District Social welfare officers	-
Total	13	-

Annexure-III

SPECIAL COURTS SET UP FOR TRIAL OF OFFENCES UNDER THE ACT

(Ref: Section 15A(2)(iii) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13.

Sr. No.	District	
	Special Court Set up	Special Courts not set up
13	13	0
	Total: 13	Total: 0

Annexure-IV

COMMITTEES SET UP AT APPROPRIATE LEVELS T0 ASSIST TE STATE GOVERNMENT IN FORMULATING OR IMPLEMENTING MEASURES NECESSARY FOR IMPLEMENTING THE ACT

(Ref: Section 15A(2)(iv) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Year: 2022

A. State Level Committee:-

(a) Whether constituted : yes

(b) Number of meetings held in a calendar year 2022: 0

B. District Level Committees (DLC) -08

	District Level Committee			
Sr. No.	District	Date of last constitution of the DLC	Number of meetings held during the year	Remarks
1.	Pauri Garhwal	0	0	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अन्तर्गत शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर हर सम्भव प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उत्थान हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।
2.	Tehri Garhwal	22-012022 29-04-2022 31-10-2022	01 01 01	
3.	Chamoli	0	0	
4.	Rudraprayag	0	0	
5.	Uttarkashi	10-09-2022 28-10-2022 10-11-202	01 01 01	
6.	Dehradun	0	0	
7.	Haridwar	0	0	
8.	Nainital	26-03-2022 24-09-2022	01 01	
9.	Almora	22-03-2022 26-04-2022 03-09-2022	03	
10.	Pithoragarh	21.09.2021	0	
11.	Bageshwar	24-01-2022 23-08-2022 29-11-2022	03	
12.	Champawat	0	0	
13.	US Nagar	0	0	
	Total:		14	

Annexure-V

PERIODIC SURVEY CONDUCTED ON THE WORKING OF THE PROVISIONS OF THE ACT

(Ref: Section 15A(2)(v) of the Act)

State/UT: **Uttarakhand.**

Total Number of District: 13.

Sr. No.	Where periodic surveys were conducted	
	District	Number of surveys conducted
1	NIL	NIL
	Total: NIL	NIL

AREAS IDENTIFIED WHERE PERSONS ARE UNDER ANY DISABILITY ARISING OUT OF UNTOUCHABILITY AND MEASURES TAKEN FOR THE REMOVAL OF SUCH DISABILITY IN SUCH AREAS

(Ref: Section 15A(2)(vi) of the Act)

State/UT: **Uttarakhand.**

Total Number of Districts: -13.

Sr. No	Identified District	Specific areas within district, identified as untouchability -prone areas	Measures taken for the removal such disability in such areas
	NIL	NIL	NIL
	Total:	NIL	NIL

STEPS TAKEN BY STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATION

State/UT: **Uttarakhand.**

Number of Publicity/Awareness Programmer conducted	Number of officers sensitized, amongst:	
	Police	others
Nil	Nil	Nil

Annexure-VIII

NO. OF INTER–CASTE MARRIAGES (WHERE ONE SPOUSE BELONGS TO A SCHEDULED CASTE AND THE OTHER IS NON-SC) FOR WHICH INCENTIVE AMOUNT PAID

State/UT: **Uttarakhand.**

Admissible Amount (in Rs.):- 50,000/-

Year of last revision:- 2022

Total Number of Districts:- 13.

Sr. No	Incentive pad	
	District	Number of Couples covered / Amount Released
1.	Pauri Garhwal	01 / 50000
2.	Tehri Garhwal	0 / 00
3.	Chamoli	01 / 50000 / –
4.	Rudraprayag	0 / 00
5.	Uttarkashi	08 / 4,00,000 / –
6.	Dehradun	08 / 4,00,000 / –
7.	Haridwar	13 / 6,50,000 / –
8.	Nainital	19 / 9,50,000 / –
9.	Almora	01 / 50,000 / –
10.	Pithoragarh	03 / 1,50,000 / –
11.	Bageshwar	0 / 00
12.	Champawat	02 / 1,00,000 / –
13.	US Nagar	04 / 2,00,000 / –
	योग–	कुल योग–दम्पत्ति–60 / रू0 30,00,000 / –

अन्र्तजातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को रू0 50,000/– प्रति दम्पत्ति के दर से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जाती है, जिसका सम्पूर्ण व्यय भार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।